09-03-2026 किशोर राकेश कुमार की हाजरी है। पुकार पर किशोर एवं उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

किशोर के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में किशोर के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 366A/34, 376(2)(g) एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के करने के लिये दिनांक 02.12.2021 को आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान किसी भी अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य नही हुआ। साक्ष्य हेतु अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति हेतु साक्षियों के विरूद्ध समन, जमानतीय अधिपत्र एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र भी निर्गत हुआ किंतु वे साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुये। **इन्ही सब बातों को घ्यान में रखते हुये गत तिथि दिनांक 31.01.26 को वृहद आदेश पारित करते हुये यह आदेश हुआ था कि अभियुक्त को द0प्र0सं0 की धारा 232 का लाभ प्रदान किया जाएगा** तथा यह भी आदेश हुआ था कि इस आदेश से विद्वान अपर लोक अभियोजक को उनका हस्ताक्षर लेकर अवगत कराये तथा इस आदेश के आलोक में आदेश फलक पर विद्वान अपर लोक अभियोजक का हस्ताक्षर करवाया गया। अतः पूर्व आदेश के आलोक में अभियुक्त को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ दिया जाए। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि पूर्व में सह अभियुक्तो को पॉक्सो काण्ड संख्या 26/2019 एवं पॉक्सो काण्ड संख्या 31/2018 में दोषमुक्त किया जा चुका है।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकोपरांत मैं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूँ। मामला वर्ष 2018 का है। विचारण के दौरान किसी भी अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य नही हुआ। साक्ष्य हेतु अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति हेतु साक्षियों के विरूद्ध समन, जमानतीय अधिपत्र एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र भी निर्गत हुआ किंतु वे साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुये। साक्षियों के विरूद्ध निर्गत दस्ती समन का तामिला आज न्यायालय में प्राप्त कराया गया, जिससे विदित होता है कि साक्षियों को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था तथा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी कोई अभियोजन साक्षी साक्ष्य हेतु उपस्थित नही हुआ। उल्लेखनीय है कि विद्वान विशेष लोक अभियोजक के लिखित आवेदन के आधार पर

दिनांक 27.01.2026 को अभियोजन साक्ष्य बंद हुआ था। चुंकि मामले में एक भी अभियोजन साक्षी का साक्ष्य नही हुआ है। अतः गत तिथि दिनांक 31.01.26 को यह आदेश हुआ था कि साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को द0प्र0सं0 की धारा 232 का लाभ दिया जाएगा। अतः किशोर राकेश कुमार, जो न्यायालय में उपस्थित है, को द0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत इस मामले में लगे आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है, इसे तथा इसके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।